

पर्या डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

कारण संख्या - 31/2024

निवाण :

1. भानीसिंह पुत्र आसुरिह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज0।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपरिस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री अब्दुल सत्तार जोईया

:- वादी

2 राजपैरोकार

डिक्री

दिनांक 28/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सत्तार जोईया व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सवूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 24 एनजीसी के खाता सं0 26/24, चक 29 एन.जी.सी. के खाता सं0 13/8 व चकनं0 30 एनजीसी के खाता सं0 17/11 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 में अंकित वादी का नाम सुमन सिंह के स्थान पर वादी का सही नाम भानी सिंह किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 28/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी